फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपाल दवे, 168/3, शीतल नगर, बाणगंगा, इन्दौर (मध्यप्रदेश) – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 18/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.05.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/344–346 दिनांक 14.03.2022 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में से बिन्दु संख्या 02 व 03 का संबंध तहसीलदार, राजसमंद तथा बिन्दु संख्या 01 व 05 का संबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग व बिन्दु संख्या 4 का संबंध खनि विभाग का होने से इस प्राधिकरण की सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को प्रेषित किया तथा बिन्दु संख्या 04 के लिये प्रार्थी को सूचित कराया गया कि वह संबंधित विभाग से सीधे ही आवेदन कर सूचना प्राप्त करे। इस कार्यालय की जो सूचना अभिलेख पर उपलब्ध थी वह प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांकः 222 दिनांक 07.02.2022 से उपलब्ध कराई गई जिसके कुल 07 पृष्ठ होने से नियमानुसार 02/–रू. प्रति पृष्ठ के हिसाब से कुल राशि 14/–रू. कार्यालय में जमा कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांकः प.1( )सू.अ.,05/2022/191 दिनांक 08.02.2022 से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना की राशि जमा नहीं कराने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी नियमानुसार वांछित राशि जमा करादे तो वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा सकेगी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.03.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि बिन्दु सं. 02 एवं 05 की जानकारी आज दिनांक अपेक्षित है। तहसीलदार, राजसमंद को बिन्दु सं. 02 ग्राम पंचायत बामनटुकड़ा की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने पर तहसीलदार, राजसमंद द्वारा श्री गोपाल दवे अपलार्थी को राजकीय शुल्क राशि 30/–रू. राजकोष में नकद या पोस्टल आर्डर से जमा कराने पर	

न्यायालय जिला कलक्टर

तैयार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया है।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं तहसीलदार, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से बिन्दु संख्या 01 से 05 तक चाही गई सूचना में से बिन्दु सं. 2 व 3 की सूचना लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होकर तहसीलदार, राजसमंद से संबंधित होने का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(i)(ii) के तहत तहसीलदार, राजसमंद को अंतरण करते हुए प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग को बिन्दु संख्या 01 से 05 की सूचना अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार शीघ्र भिजवाने एवं अपीलांट को बिन्दु सं. 04 की सूचना खनि अभियंता, राजसमंद से संबंधित होने से संबंधित प्राधिकरण को पृथक से आवेदन कर सूचना प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 21.03.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 02 एवं बिन्दु संख्या 05 की जानकारी अपेक्षित होने का उल्लेख किया है। उक्त बाबत लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद के पत्रांकः प. 1( )सू.अ.,05/2022/191 दिनांक 08.02.2022 तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, राजसमंद के पत्रांकः आर.टी.आई./2022/357–358 दिनांक 27.04.2022 से अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता हैं कि नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करें। उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद